सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 42 / 17 **निर्णय दिनांकः— 18.06.2019**

1. रामकिशन
2. गणपतराम
3. मोहनलाल

पिसरान रामप्रताप जाति जाट तर्ड निवासीगण जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. गोपालराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट तर्ड निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09—05—2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

2. अपील संख्याः 41 / 17

1. रामकिशन
2. गणपतराम
3. मोहनलाल

पिसरान रामप्रताप जाति जाट तर्ड निवासीगण जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. गोपालराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट तर्ड निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27—06—2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—

1. श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विनोद पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 09—05—2017 व दिनांक 27—06—2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. उपरोक्त दोनों पत्रावलियों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निर्णय एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही ग्राम जसरासर उत्तरी नोखा के खसरा नम्बर 2219 तादादी 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 2220 तादादी 2.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 2221 तादादी 7.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 2222 तादादी 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 2233 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2234 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 2235 तादादी 0.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 2236 तादादी 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 2342 तादादी 3.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 2343 तादादी 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 2543 तादादी 3.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 2544 तादादी 0.12 हेक्टर, 2545 तादादी .014 हेक्टर, खसरा नम्बर 3178/2536 तादादी 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 3346/3004 तादादी 0.1284 हेक्टर कुल तादादी 21.1384 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है तथा उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान

किये बिना एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में विभाजन की डिक्री पारित की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपील के तथ्यों में वर्णित आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की सुयंक्त खातेदारी की भूमि है। जिसके बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए का प्रस्तुत किये जाने व बंटवारा एवं चिरनिषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर कैम्प कोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में विभाजन की डिक्री जारी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट को कैम्प कोर्ट कोई नोटिस दिया गया ना ही निर्णय में अपीलांट की उपस्थिति दर्ज की गई। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि विवादित कृषि भूमि का बंटवारा आज से 30 वर्ष पूर्व ही जब अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता रामप्रताप जीवित थे, उन्होंने अपने जीवनकाल में ही सभी भाईयों की उपस्थिति में कर दिया गया था तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उसी बंटवारें के अनुरूप कब्जे काश्त व धारण की भूमि पर काबिज है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता रामप्रताप ने उक्त भूमि में खसरा नम्बर 3346/3004 में अपीलांट रामकिशन व गणपतराम को रिहायशी मकान बना कर दिया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भी आबादी जसरासर में मकान बना कर दिया था तथा अपीलांट मोहनलाल को आबादी जसरासर में स्थिति पैतृक मकान किया था। तभी से लेकर आज दिनांक तक सभी उक्त बंटवारें के अनुसार काबिज है। खसरा नम्बर3346/3004 में स्थित मकानों में अपीलांट गणपतराम व मोहनलाल के नाम से बिजली के कनेक्शन जारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मन में लालच आ जाने व उक्त रिहायशी मकान को हड़पनें की नियत मात्र से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट

को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। यदि तत्समय अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि संयुक्त खाते की भूमि पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स मौके के अनुसार सभी पक्षों की सहमति से या मौके के अनुसार विभाजन हो सकता है। सीधे विभाजन कानूनन नहीं हो सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छुपा कर अदालत मातहत के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसे प्रस्तुत करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं थे। अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के कानून अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा तमाम कानूनों को ताक पर रख कर अपीलांट्स के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जिसकी कानून में कोई मान्यता न तो कभी थी और ना ही है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड के अवलोकन किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रभाव में आकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित किया है। जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा अपना माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से खाता विभाजन तेा बहुत पहले ही हो चुका था, उसी अनुरूप अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन करते हुए जो भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में बताई गई है उस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा प्रारम्भ से ही चला आ रहा है तथा अपीलांट मौके पर ढाणी व कुण्ड बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त स्थिति का ज्ञान होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अच्छी से अच्छी भूमि की डिक्री प्राप्त की गई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अदालत मातहत को धोखे में

रख कर डिक्री प्राप्त की गई है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वे सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् आराजी वाके रोही ग्राम जसरासर उत्तरी नोखा के खसरा नम्बर 2219 तादादी 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 2220 तादादी 2.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 2221 तादादी 7.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 2222 तादादी 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 2233 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2234 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 2235 तादादी 0.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 2236 तादादी 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 2342 तादादी 3.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 2343 तादादी 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 2543 तादादी 3.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 2544 तादादी 0.12 हेक्टर, 2545 तादादी .014 हेक्टर, खसरा नम्बर 3178/2536 तादादी 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 3346/3004 तादादी 0.1284 हेक्टर कुल तादादी 21. 1384 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है तथा उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारिवारिक लड़ाई झगड़ें से बचने के लिए व वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन हेतु अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

जिस पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त सम्मनों की विधिवत तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। तत्पश्चात् अदालत मातहत की पत्रावली निरन्तर पक्षकारों की उपस्थिति में तलबी/जवाब/साक्ष्य के स्तर पर जैरकार रही है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत क निर्देशों के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित आकर वहॉ मौजूद पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये। उक्त विभाजन के प्रस्ताव में सभी पक्षकारों जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट शामिल है, के हितों को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स पक्षकारों के मध्य वादगत् भूमि का विभाजन करते हुए प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा उसी के अनुरूप पक्षकारों के मध्य पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील 13—07—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि पक्षकारों में आपसी बंटवारा 30 वर्ष पूर्व उनके पिता रामप्रताप द्वारा किया जा चुका है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 3346/3004 में अपीलांट निवास कर रहे है परन्तु उक्त खसरें को नक्शें में शामिल नहीं किया गया है।

इस संबंध में उभय पक्ष की बहस प पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में पक्षकारों को विरासत में प्राप्त हिस्से पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होनें प्रारम्भिक डिक्री जारी करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिये जाने पर आपत्ति की है, जबकि परीक्षण न्यायालय में पक्षकारों के वकील हाजिर थे। यदि सह खातेदारों के हिस्सों पर आपत्ति थी तथा किसी खसरा विशेष का उनके पक्ष में बंटवारा हो चुका था तो पहली सुनवाई में ही उक्त तथ्य न्यायालय के ध्यान में लाये जाने चाहिए थे। अपीलांट्स ने अपील मीमों के साथ में डिक्री में उल्लेखित बंटवारे से भिन्न कोई प्रस्ताव पेश नहीं किये है।

ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की भूल करने का तथ्य सामने नहीं आया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देकर जब सहखातेदारों के हिस्से के मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई थी तो अपीलांट्स को अपने कब्जेशुदा हिस्से के प्रस्ताव तहसीलदार से उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश करने चाहिए थे। तहसीलदार ने पक्षकारों के मौके पर कब्जे के मुताबिक प्रस्ताव तैयार कर उस पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये है। अपीलांट्स ने न तो स्वयं द्वारा तैयार प्रस्ताव पेश किये तथा न ही तहसीलदार द्वारा तैयार प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किये। उन्होनें अपील मीमों के साथ भी केवल एक खसरा जिस पर सभी सहखातेदारों के आवास है, के बंटवारें पर आपत्ति की है। अपीलांट्स ने 30 साल पूर्व हुए बंटवारे का उल्लेख किया है परन्तु ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिसके आधार पर खसरा नम्बर

3346/3004 पर केवल अपीलांट्स का ही कब्जा हो। अपीलांट्स ने केवल विभाजन की कार्यवाही रूकवाने के उद्वेश्य मात्र से यह अपील पेश की है। जिसका कानूनी रूप से कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपीलें खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09—05—2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 27—06—2017 के विरूद्व प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है।

10. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.06.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर